

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सप्तम,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

विषय: वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-24 में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बहराइच द्वारा दी गयी टिप्पणी व मूल्यांकन के संबंध में प्रत्यावेदन।

माननीय महोदय,

ससम्मान् सविनय निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष की भाँति मेरे द्वारा जे.ओ. पोर्टल के माध्यम से स्वमूल्यांकन निर्धारण प्रपत्र दिनांक 29.04.2024 को श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच के द्वारा आपत्ति लगायी गयी थी। प्रार्थी द्वारा आपत्तियों के निवारण करने के पश्चात् समस्त प्रपत्रों को आपत्ति के आलोक में दिनांक 29.05.2024 को जे.ओ. पोर्टल के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दिनांक 10.07.2024 को स्वमूल्यांकन प्रपत्रों के आधार पर प्रार्थी को दी गयी गोपनीय प्रविष्टि "अच्छा (Good)" की सूचना प्राप्त हुई। श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा खण्ड 04 में की गयी अन्य टिप्पणी (Other remark) के आधार पर दी गयी प्रविष्टि "अच्छा (Good)" के संबंध में प्रत्यावेदन निम्नप्रकार हैं-

01. स्वनिर्धारण प्रपत्र 2023-24 के खण्ड 04 में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,

बहराइच द्वारा यह टिप्पणी की गयी है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कृत कार्य के विवरण (As per statement of work done) के अनुसार धारा 258 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निर्णीत 175 वादों में 1/3 यूनिट प्रति वाद/पत्रावली यूनिट दावा किया गया है, जबकि सामान्य पत्रांक संख्या 11/IV-h-14/2022 दिनांकित इलाहाबाद: 18 अगस्त, 2022 के क्रम संख्या 26 के अनुसार बिना कोई साक्ष्य के धारा 258 दं०प्र०सं० के अंतर्गत निर्णीत वाद में प्रत्येक 20 वाद/पत्रावली पर 01 यूनिट दावाकृत होना चाहिए। अतः अधिकारी द्वारा अतिरिक्त 49.58 यूनिट अधिक दावा किया गया है।

02. उपरोक्त के संबंध में माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सामान्य पत्रांक संख्या 11/IV-h-14/2022 दिनांकित इलाहाबाद: 18 अगस्त, 2022 के क्रम संख्या 26 के अनुसार ही निर्णीत वादों की संख्या 175 अंतर्गत धारा 258 दं०प्र०सं० हेतु दावा किए जाने का आशय था। न्यायिक कार्य की अधिकता एवं प्रार्थी द्वारा निस्तारित वादों की अधिक संख्या होने के कारण धारा 258 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रत्येक निस्तारित वाद में मूल्यांकन 1/20 यूनिट के स्थान पर 1/3 यूनिट सहवन टाइपिंग की त्रुटिवश अंकित हो गया था और उसी आधार पर स्वमूल्यांकन प्रपत्र श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जबकि इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सामान्य पत्रांक संख्या 11/IV-h-14/2019 दिनांकित इलाहाबाद: 05 मार्च, 2019 के क्रम संख्या 26 के अनुसार प्रत्येक निस्तारित वाद अंतर्गत धारा 258 दं०प्र०सं० हेतु एक यूनिट नियत था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्वनिर्धारण प्रपत्र में दावाकृत यूनिट 1/20 के स्थान पर 1/3 सहवन टाइपिंग त्रुटिवश अंकित हो गया है। प्रार्थी द्वारा कभी भी अपने कार्य से अधिक गोपनीय प्रविष्टि के अंतर्गत अधिक यूनिट दावा किए जाने का आशय नहीं रहा है।

03. स्वनिर्धारण प्रपत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अक्षरशः अनुपालन में नियत कृत कार्य 1200 यूनिट प्रति वर्ष से अधिक वर्ष 2023-24 में 2861.53 यूनिट लगभग 238.46% कार्य किया गया है। प्रार्थी द्वारा नियत कृत कार्य से अधिक कार्य करने की दशा में यदि दावाकृत अधिक यूनिट प्रार्थी के कृत कार्य 2861.53 यूनिट में से 49.58 यूनिट घटाए जाने पर प्रार्थी द्वारा कुल कृत कार्य 2811.94 यूनिट होती है जो नियत कृत कार्य 1200 यूनिट से अधिक है। इस प्रकार खण्ड 04 में कृत

कार्य के संबंध में दी गई प्रतिकूल टिप्पणी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

04. प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सामान्य पत्रांक संख्या 11/IV-h-14/2022 दिनांकित इलाहाबाद 18 अगस्त, 2022 में आदेशित किया गया है कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वनिर्धारण वर्ष में निर्धारित आउट टर्न (Out turn) 1200 यूनिट के सापेक्ष 600 यूनिट का कार्य वाद के अन्तिम निस्तारण से आकलित/प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा निर्धारित 600 यूनिट के सापेक्ष 1855.89 यूनिट (175 वाद अंतर्गत धारा 258 दं०प्र०सं० का स्वनिर्धारण मूल्यांकन 1/20 यूनिट के आधार पर सम्मिलित करते हुए) कार्य वादों के अन्तिम निस्तारण से आकलित/प्राप्त होता है, जो कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2023-24 में कृत कार्य 300 % से अधिक है।

05. इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने अथक प्रयास व परिश्रम तथा पूर्ण सत्यनिष्ठा व ईमानदारी से निरन्तर न्यायिक कार्य संपादित करता रहा है और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अधिक से अधिक पत्रावलियों व प्राचीनतम पत्रावलियों के निस्तारण हेतु सदैव प्रयासरत रहा है और भविष्य में भी माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु सदैव तैयार व तत्पर रहेगा।

06. प्रार्थी अपने स्वमूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र में 1/20 यूनिट के स्थान पर सहवन 1/3 यूनिट टाईपिंग की त्रुटि होने से एवं उसका दावा किए जाने हेतु, क्षमा प्रार्थी है। माननीय न्यायालय से प्रार्थी क्षमा की याचना करता है। भविष्य में प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

07. माननीय न्यायालय को यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा खण्ड 04 में की गयी अन्य टिप्पणी (Other remarks, if any) के आधार पर दी गयी है, जबकि इसके अतिरिक्त गोपनीय प्रविष्टि के अन्य खण्डों में प्रार्थी के संबंध में अन्य कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है, जिससे विदित होता है कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा मेरे द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट थे, जिस कारण से भी उक्त प्रतिकूल टिप्पणी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन है कि मेरे प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा गोपनीय

प्रविष्टि में खण्ड 04 में दी गयी प्रतिकूल टिप्पणी/प्रविष्टि "As per statement of work done the Officer charged 1/3 Unit per case in 175 cases decided under Section 258 Cr.P.C. but as per G.L.No.11/IV-h-14/2022; dated: Allahabad: August 18, 2022 accroding to serial No. 26, cases decided under Section 258 Cr.P.C. without any evidence 01 Unit per 20 cases should be charged. Hence the Officer charged extra 49.58 Unit" को समाप्त (Expunge) करते हुए मेरे द्वारा मानक से कहीं अधिक कार्य किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को उन्नयन(Upgrade) करने की कृपा करें। प्रार्थी माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहेगा।

अतः श्रीमान् महोदय से सादर प्रार्थना है कि उक्त प्रत्यावेदन को आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

ससम्मान् सादर प्रेषित।

भवदीय,

दिनांक: 15-07-2024

(कृष्ण कुमार-ससम्),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच।

जे.ओ. कोड-U.P. 2126